(16)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र0 प्र07 ज0 वि0प्र0-16/2009 (पार्ट) 5810/खाद्य, पटना/दिनांक- 11/9/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पैक्सों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0न0-16192/2011 सुनीता रजक बनाम राज्य सरकार में दिनांक- 06.01.2012 को पारित अंतरिम आदेश जो निम्नवत है; " Till further orders, no allotment with regard to matter in question shall be made." के आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है एवं माननीय उच्च न्यायालय से उक्त याचिका में शीघ्र सुनवाई हेतु अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,

11/9/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।

C:\Users\DELL\Desktop\Court Case Seo-7\Pan drive Date - 11-09-2012.doc